VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: **तीन घंटे**
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 1228024

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : Manoj Kumar

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English

Hindi

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

तारीख
Date

27-08-2022

केंद्र
Centre

chandigarh

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

Vandana
27/08/2022

SE

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	**Important Instructions**
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान वनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि वनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use
परीक्षक के हस्ताक्षर Signature of Examiner(s)	

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ **Marks Details (To be filled by the Examiner(s))**

प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**		प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**	
1			**11**		
2			**12**		
3			**13**		
4			**14**		
5			**15**		
6			**16**		
7			**17**		
8			**18**		
9			**19**		
10			**20**		
उप-योग **(A)** **Subtotal (A)**			उप-योग **(B)** **Subtotal (B)**		
सकल योग **(A+B) / GRAND TOTAL (A+B)**					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2218)

निर्धारित समय: तीन घंटे Time Allowed: **Three Hours**	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

कुल बीस प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VISION IAS

All the Best

1. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Do you agree with the view that time has come to revisit the Seventh Schedule of the Indian Constitution? Discuss with suitable arguments. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघवादी व्यवस्था के अनुरूप केन्द्र एवं राज्यों के मध्य विषयों का वर्गीकरण करती है।

7वीं अनुसूची

- संघ सूची: केन्द्र को कानून बनाने की अनन्य क्षेत्राधिकार उदा. बैंकिंग
- राज्य सूची: राज्यों द्वारा कानून बनाने का अनन्य क्षेत्राधिकार उदा. कानून व्यवस्था
- समवर्ती सूची: दोनों को कानून बनाने की शक्ति - टकराव में केन्द्रीय कानून प्रभावी

7वीं अनुसूची के पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि:-

(1) स्वतंत्रता के 75 वर्ष उपरांत स्थितियों में व्यापक बदलाव आ गया है। अतः कुछ विषय प्रासंगिक नहीं रहे बल्कि कुछ

विषयों की प्रकृति में बदलाव आया है।

~~उदा.~~

(2) राज्यों के विवादों के समाधान हेतु [जल] जैसे विषयों का केन्द्रीय सूची में डालना व्यवहारिक होगा

(3) समवर्ती सूची का आकार बहुत बढ़ गया है जिसके तार्किक वर्गीकरण की आवश्यकता है

केंद्र विधायन द्वारा अधिकतर यथा- श्रम कानून, कृषि व्यापार कानून

विपक्ष के तर्क

(1) यह संघवादी भावना के प्रतिकूल है एवं केन्द्रीय प्रभुत्व को बढ़ा सकता है

(2) यह राज्य-केन्द्र के मध्य विश्वास को कम करेगा।

वस्तुतः इस सम्बंध में केन्द्र को सर्वप्रथम राज्यों को विश्वास में लेकर 7वीं अनुसूची के परिवर्तन एवं परिवर्तन के स्वरूप की रूप-रेखा तैयार करनी चाहिए।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. न्याय वितरण के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) तंत्र के लाभों को रेखांकित करते हुए, भारत में इसके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Highlighting the advantages of online dispute resolution (ODR) mechanism for justice delivery, discuss the challenges associated with its effective implementation in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कोविड आपदा के दौरान व उपरांत न्याय प्रणाली के समक्ष उत्पन्न संकट ने आनलाइन विवाद (odr) समाधान की तरफ ध्यान आकृष्ट किया।

ODR क्या है?

यह मामलों का मात्र डिजिटल तकनीक आधारित निर्धारण नहीं है बल्कि विवाद समाधान के साथ-साथ न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण है।

ODR के लाभ

(1) आनलाइन न्याय द्वारा न्याय तक त्वरित पहुँच प्रदान कर भौगोलिक बाध्यता को खत्म करता है।

(2) ई-कोर्ट श्रेणी द्वारा वादों की बेहतर पूलिंग संभव → निर्णयों को आनलाइन समाधान संभव

③ ई-हियरिंग द्वारा संगीन अपराधियों को सरहदी लेकर जाने की चुनौती नहीं

④ ई-न्याय आधार प्रणाली है।

⑤ न्यूडीशल डाटा ग्रिड द्वारा पेन्डिंग केस की जानकारी प्राप्त

ODR
वार्यान्वयन सम्बंधी चुनौती :—

① पर्याप्त अवसंरचना - हैक सेवी पुलिस का अभाव - साक्ष्यों के Authentication की समस्या।

② न्याय प्रणाली को Hacker होने का खतरा

③ निजी जानकारी का चोरी होना

④ न्याय में मानव पक्ष का कम होना

⑤ जनों के लोक लुभावनवाद का खतरा

⑥ Digital Divide की समस्या

अनु-39 के तहत विधिक सहायता DPSP का अंश ODR इस सम्बंध में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रस्तुत करता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. शक्तियों के संवैधानिक विभाजन के बावजूद, केंद्र-राज्य विवाद भारतीय लोकतंत्र की एक चिरस्थायी विशेषता रहे हैं। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite the constitutional division of powers, Centre-state disputes have been a perennial feature of Indian democracy. Discuss with examples. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संघवादी व्यवस्था के तहत संविधान द्वारा 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों का वर्गीकरण किया गया (संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची)

भारतीय लोकतंत्र में शक्ति विभाजन के बावजूद केन्द्र-राज्य विवाद के कारण :-

① 'सहम विधायन' एवं 'शीर्ष एवं सार तत्व के सिद्धान्त' का पालन न करना :- इकाई या संघ द्वारा परोक्ष रूप से अतिक्रमण का प्रयास → उदा. सहकारिता अधिनियम द्वारा राज्य के विषय क्षेत्र का अतिक्रमण

② GST आने के उपरान्त राज्यों की वित्तीय क्षमता पराास कम होना जबकि केन्द्र

• द्वारा सेस एवं सरचार्ज के वृद्धि करना

(3) केन्द्र द्वारा जारी किए जाने वाले ~~प्रशासनि~~ प्रशासनिक अनुदेश एवं नियमों का राज्यों पर दबाव.

(4) केन्द्र द्वारा मॉडल कानून (मॉडल APMC एक्ट, कृषि व्यापार विपणन अधिनियम) एवं कानून द्वारा राज्य पर नैतिक दायित्व का आरोपण

(5) राष्ट्रपति शासन का अविवेकपूर्ण उपयोग एवं केन्द्रीय अभिकरणों CBI, ED को प्रतिशोध के रूप में काम में लेना

(6) केन्द्र सरकार द्वारा वैश्विक अभिसमय अंगीकार करना एवं राज्यों द्वारा अनुपालन में असमर्थता उदा. केरल में वन वोट कन्वेन्शन - इसको संवेदनशील क्षेत्र आरक्षित न कर पाना।

वस्तुतः संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद व्यापक विचार-विमर्श के अभाव के कारण व्यवहार में विवाद उत्पन्न होते हैं, बेहतर सम्पर्क द्वारा इनका निराकरण संभव है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

4. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लॉबिंग के लिए एक ढांचे को अंगीकृत करना भारत में सहभागी शासन और कारोबार सुगमता को सुदृढ़ करेगा? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that adopting a framework for lobbying will strengthen participative governance and ease of doing business in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लॉबिंग वह प्रक्रिया है जिसके तहत कोई दबाव समूह अपने वर्गीय हितों हेतु नीति निर्माण एवं सरकारी निर्णयों को प्रभावित करता है।

भारत में US की भांति लॉबिंग कानूनी नहीं है फलत: भारत के FICCI जैसे मंच राय के स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया सरकार अपेक्षा को प्रकट करते हैं।

लॉबिंग को ढांचागत वैधता देने के सहभागी शासन एवं कारोबारी सुगमता में लाभ -

(1) नीति निर्माण में अधिक विस्तार आयामों की चर्चा - स्टेकहोल्डर अप्रोच का निर्माण होगा।

(2) वर्गों की सहभागिता बढ़ेगी एवं सक्रियता

को बढ़ावा मिलेगा।
(3) नीति के अनुपालन में सहयोग प्राप्त होगा
(4) ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण
(5) मानकीकृत लॉबिंग प्रक्रिया →

हानि

(1) यह क्रोनी-कैपिटलिज्म को बढ़ावा देकर कुलीन तंत्र की स्थापना करेगा।
(2) सरकार को कल्याण केन्द्रित से लाभ केन्द्रित बना देगा।
(3) चुनावी फंडिंग, दान, भ्रष्टाचार द्वारा जनहित के विपरीत नीति निर्माण संभव है
(4) फ्रेमवर्क के बावजूद यह विधायी अनुपालन का अनैतिक भ्रष्टाचार हेतु होगा - e. बाण्ड

वस्तुतः लॉबिंग प्रक्रिया वर्तमान में हित स्पष्टीकरण हेतु पद्धति स्थान प्रदान करती है लॉबिंग को वैध बनाने के अभी भी कुछ चिंताएँ व्याप्त हैं; जिनका निराकरण लॉबिंग को अपनाने की पूर्व शर्त है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. सरकारी अनुप्रयोगों के लिए सरकार द्वारा प्रोपराइटरी (निजी स्वामित्व और नियंत्रण वाली) प्रौद्योगिकी के बजाय ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के बावजूद, फ़्री एंड ओपन सोर्स सॉफ़्टवेयर (FOSS) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं हो पाया है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Despite the government encouraging open source instead of proprietary technology for government applications, the true potential of Free and Open Source Software (FOSS) and digital platforms remains unrealized. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सरकार द्वारा FOSS एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने हेतु ओपन कोड, उमंग ऐप्प इत्यादि माध्यमों द्वारा ओपन स्रोत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा किया गया है।

फिर भी FOSS एवं डिजिटल ~~अवसंरचना~~ प्लेटफॉर्म अपनी वास्तविक क्षमता का दोहन नहीं कर पाऐं हैं. क्योंकि —

① सरकारी प्लेटफॉर्म पर अभी भी भाषा अत्यधिक महत्वपूर्ण बाधा है। IVRS व्यवस्था को बहुभाषायी बनाई की व्यवस्था है।

② प्लेटफॉर्म का बार-बार हैंग होना - उदाहरण IRCTC का उपयोग के समय → इनके लोगों की जांच हो यह निजी कम्पनी का इस्तेमाल

भी हो सकता है।

(3) सरकारी प्लेटफॉर्म के डिजीटल माध्यम का इन्टरफेस यूजर फ्रेण्डली ना होना जिससे उपभोक्ता को हानि होती है।

(4) निजी सेवा प्रदाता द्वारा प्रचार प्रसार पर बल एवं Ai का प्रयोग। उदाहरण IRCTC बनाम गो-आइ. बिबो

(5) डिजीटल डिवाइड के कारण सरकार के लक्षित वर्ग (ग्रामीण-गरीब) अभी सूचना तकनीक एवं इण्टरनेट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

(6) साइबर हमले एवं डिजाटल अरेस्ट → हैकिंग से उत्पन्न खतरे

वस्तुत: इसका समाधान कर भारत सरकार द्वारा NeGP 2.0 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

6. एक सामाजिक सुरक्षा-वाल्व के रूप में, गैर-सरकारी संगठन (NGOs) प्रमुख साधन हो सकते हैं जिनके माध्यम से समुदाय अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हैं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
As a social safety-valve, non-governmental organisations (NGOs) can be the principal vehicles through which communities voice their concerns. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गैर सरकारी संगठन (NGO) स्वयंसेवी संगठन होते है; जो अपनी सक्रियता द्वारा क्षेत्र विशेष मे कार्य करते हैं - प्रथम (शिक्षा), बचपन बचाओ (बाल श्रम) इत्यादि) नाज फाउण्डेशन (तृतीय लिंग) निलाप (पशु) |

Ngo द्वारा सामाजिक सुरक्षा वाल्व के रूप मे कार्य :-

① यह जनहित को प्रकट करते है एवं अनसुनों की आवाज के रूप मे कार्य करते हैं :- नाज फाउंडेशन द्वारा (होमो सेक्सुअल एवं ट्रांसजेंडर को आवाज प्रदान करना)

② सरकार को सहयोग — यह नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सरकार को आवश्यक आंकड़े प्रदान करते हैं (प्रथम - ऐसर सर्वे) तथा

नीति अनुपालन में सहयोग करते हैं।

(3) यह कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी आचरण का विरोध कर उत्तरदायित्व को मजबूत करने हेतु लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं – परिवर्तन Ngo (महिला किसान शक्ति संगठन – Ngo)

(4) यह जनता के बीच जाकर कार्य करते हैं जिससे जनभागीदारिता के ~~कमी~~ वृद्धि होती है।

Ngo के सम्बंध में चिंताएं

सरकार हेतु	Ngo हेतु
Ngo के विरोध प्रदर्शन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर gdp 3-5% तक का नुकसान	FCRA अधिनियम में परिवर्तन के कारण Ngo के वित्त स्रोत बाधित होना

Ngo एक सक्रिय लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख अंग है; यह जनता की आवाज को मजबूत कर शासन को जन केन्द्रीत बनाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. अपने रोगी केंद्रित दृष्टिकोण के लिए सराहे जाने के बावजूद, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का कार्यान्वयन सुस्त है और विभिन्न मुद्दों से घिरा हुआ है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Despite being lauded for its patient centric approach, the implementation of the Mental Healthcare Act, 2017, remains sluggish and mired with various issues. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

WHO के अनुसार भारत में 16% व्यक्ति मनोरोग से ग्रस्त है। सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पारित किया गया है, जिसके प्रावधान इस प्रकार है –

① आत्महत्या को अपराध के दायरे से बाहर लाना

② मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार बताना; बीमाकरण की सुविधा; उपचार पद्धति (ECT) के निर्धारण का मानकीकरण

③ रिहेब की व्यवस्था एवं सरकारी दायित्व संबंधी प्रावधान

सुस्त कार्यान्वयन

① वर्तमान में मनोरोग विशेषज्ञ 0.4 प्रति मिलियन है जो UN मानकों की तुलना में

अत्यन्त कम है।

② मानसिक स्वास्थ्य अधिकार के क्रियान्वयन हेतु नियम एवं दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

③ PM - आयुष्मान - आरोग्य केन्द्रों के तहत टी - हैब सेन्टर जैसा कुछ प्रावधान नहीं

④ यह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े stigma कलंक पर कोई कदम नहीं उठा।

अन्य विभिन्न मुद्दे :—

① मनोरोग के वर्गीकरण सम्बंधी कोई योजना नहीं - यह एकपक्षीय है

② मनोरोग पीड़ितों के समाज में आन्तरीकृत करने की कोई प्रणाली नहीं है।

वस्तुतः मानसिक स्वास्थ्य के तहत पर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना एवं विधिक अवसंरचना को सशक्त करने की आवश्यकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक शहरी रोजगार गारंटी योजना तैयार करने का समय आ गया है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Do you agree with the view that time has come to formulate an Urban Employment Guarantee scheme at the national level? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में नगरीय गरीबी एवं बेरोजगारी की दर ग्राम की तुलना में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यक्रम सुरक्षा वाल्व की भांति कार्य करता है।

शहरी रोजगार गारन्टी योजना

लाभ	हानि
① शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी।	② शहरी क्षेत्रों में प्रवसन को बढ़ाकर 'मनरेगा' के उद्देश्य 'प्रवसन नियंत्रण' को ध्वस्त कर सकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② मौसमी बेरोजगारी का अन्त	② यह श्रम को महंगा कर उद्योगों को हानि पहुंचाएगा
③ अतिरिक्त आय द्वारा जीवन स्तर में सुधार	③ निम्न श्रेणी रोजगार लोगों के कौशल विकास में भागीदारी नहीं
④ सरकार की मक्का माय - मक्का विकास पहल के अनुकूल है	④ सरकार पर अतिरिक्त राजस्व देयता का सृजन करता है।

वस्तुतः शहरी रोजगार गारंटी तदर्थ स्तर पर एक उपाय हो सकता है। इसलिए इसे नियमित पायलट प्रोजेक्ट स्तर पर लागू कर इसका परीक्षण करना बेहतर रहेगा।

9. हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में बिम्सटेक की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of BIMSTEC as a regional organisation to fulfil India's strategic aspirations in the Indian Ocean Region. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी से सीमा लगाने वाले देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है।

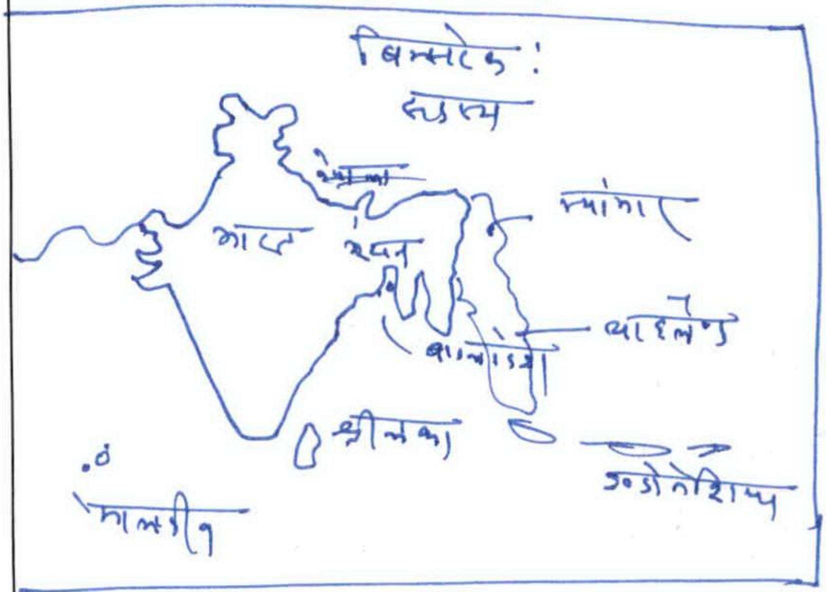

भारत की हिन्द महासागर में सामरिक आकांक्षाएं:

① नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में कार्य

② हिन्द महासागर को सैन्यीकृत क्षेत्र न बनने देना

③ 'सागर' पहल को बढ़ावा

④ डकैती की रोकथाम

⑤ चीन के प्रभाव को कम करना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

बिम्सटेक की प्रासंगिकता

(1) यह क्षेत्रीय एकीकरण एवं क्षेत्रीय सहयोग का मंच प्रदान करता है।

(2) बिम्सटेक द्वारा आर्थिक-तकनीकी सहयोग के माध्यम से हिन्द महासागर में भारतीय पहुँच को विस्तारित करना (इंडोनेशिया से हिन्द पहुँच)

(3) ऊर्जा सुरक्षा (भारत ग्रिड) व्यापार एवं वित्त सहयोग द्वारा चीन की पैठ को कम करना

(4) भारत-आसियान के मध्य पुल के रूप में कार्य करना (थाइलैंड - इंडोनेशिया)

वस्तुतः बिम्सटेक भारत की हिन्द महासागरीय कूटनीतिक आधार के रूप में कार्य करने की क्षमता रखता है।

10. वर्तमान समय में अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में भारत के लिए गुजराल सिद्धांत की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the relevance of the Gujral Doctrine for India with regard to its relations with its immediate neighbours in the present times. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गुजराल सिद्धान्त ; गैर पारस्परिकता पर आधारित है जिसके तहत भारत समान व्यवहार की अपेक्षा न करते हुए निकटतम पड़ोसियों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करता है। जिससे बिग बुल प्रवृत्ति को बिग ब्रदर में बदला जा सके।

गुजराल सिद्धान्त की प्रासंगिकता

① दक्षिण एशिया क्षेत्र में क्षेत्रीय दिवालियापन (नेपाल, श्रीलंका आर्थिक संकट) भारतीय सहयोग की मांग करता है।

② क्षेत्रीय राजनीति का अस्थिर होना फलतः: लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने हेतु → अफगानिस्तान के तालिबान की वापसी एवं म्यांमार

में सैन्य विस्तारवाद

(3) चीन के प्रति संतुलन हेतु → मालदीव द्वारा चीन कार्ड खेलना एवं श्रीलंका का ऋण जाल में फंसना

(4) रूस द्वारा मिलने वाला रक्षा सहयोग गुजराल सिद्धान्त का परिणाम है।

(5) भारत को क्षेत्रीय नेता के रूप में और उभारने एवं UNSC में सुरक्षा परिषद में सीट का समर्थन प्राप्त करने हेतु

(6) क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण (SAFTA) हेतु
साफ्टा

इस प्रकार गुजराल सिद्धान्त भारत की पड़ोसी प्रथम, नागर पहल, एक्ट ईस्ट नीति के आवश्यक तत्व के रूप में कार्य करता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. भारतीय संसदीय प्रणाली में "संसद के अधिकारियों" की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके निष्पक्ष कामकाज के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Highlight the pivotal role of the "Officers of Parliament" in the Indian Parliamentary system. Also, discuss the constitutional and statutory provisions for their impartial functioning. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

संसद के अधिकारी वह व्यक्ति होते हैं जो संसद के कार्य संचालन को सक्षम बनाते हैं। हालांकि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है किन्तु संसदीय नियमों द्वारा संसदीय अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है—

संसदीय अधिकारियों की भूमिका

(1) यह संसदीय पत्राचार के माध्यम होते हैं।

(2) यह संसदीय समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

(3) यह संसद के प्रश्नों के विभाजन सभापति के समक्ष प्रस्तुतिकरण, वर्तमान स्टेटस

के सम्बंध में मंत्री एवं संसद सदस्य के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं।

(4) यह संसद सदस्य को वांछित सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं

(3) संसद के अधिकारी संसद के सांसदों की उपस्थिति, प्रश्न रखने, प्रश्नों के पेंडिंग उत्तर सम्बंधी डाटा रखते हैं।

(5) यह संसद संचालन, सुचारु मीटिंग हेतु सदस्यों को तार्किक स्पोर्ट प्रदान करते हैं।

निष्पक्ष कामकाज हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधान :-

(1) संवैधानिक प्रावधान अनुपस्थिति के अलावा कार्यपालक शासनादेश पर आधारित है)

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② वैधानिक प्रावधान द्वारा विस्तृत योग्यता एवं सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं किया गया है

वस्तुतः संसद के अधिकारी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं अतः उनके निष्पक्ष कामकाज हेतु विस्तृत प्रावधान किया जाना अपेक्षित है।

12. वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, 15वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Finance Commission plays a crucial role in balancing fiscal federalism in India. In this context, examine the recommendations given by the 15th Finance Commission. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत पाँच वर्षीय वित्त आयोग की स्थापना की जाती है।

15 वें वित्त आयोग ने N.K. सिंह की अध्यक्षता में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई।

करों के क्षैतिज विभाजन हेतु फार्मूले का सारांश

कर अन्तराल	
जनसंख्या 2011	12.5%
जनांकिकीय प्रदर्शन	
कर प्रयास	2.5%
क्षेत्र	45%
पर्यावरण	

← वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिफारिश का आधार

वित्त आयोग द्वारा करों के ऊर्ध्वाधर विभाजन 41:59 ~~एवं केन्द्र~~ राज्य एवं केन्द्र के मध्य तथा केन्द्र द्वारा राज्यों के मध्य

होने वाले कर विभाजन का अंश निर्धारित किया जाता है। किस राज्य को कितना कर अंश प्राप्त होगा। यह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र के अनुसार गणित किया जाता है।

वित्त आयोग द्वारा जनगणना 2011 के आंकड़ों को अपनाते हुए जनांकिकीय प्रदर्शन के फार्मूले से ध्यान देकर उत्तर-दक्षिण विवाद का समन्वय किया है।

वित्त आयोग द्वारा

राजकोषीय संघवाद में भूमिका

① विशिष्ट अनुदान प्राप्त कर राज्यों को कार्य संचालन हेतु वित्तीय स्रोत की आपूर्ति करता है।

② केन्द्र राज्य के मध्य वित्तीय विभाजन के विवाद का निराकरण करता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(3) पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु उपाय प्रस्तुत करता है।

(4) वित्तीय विभाजन द्वारा भावी विकास का आधार तैयार करता है।

(5) हालांकि कुछ बिन्दुओं पर राज्यों की असहमति

(1) निर्मित रक्षा मूल्य फण्ड पर राज्यों की सहमति नहीं

(2) यह अतिरिक्त लोन एवं कारपोरेट की चर्चा नहीं करता है।

(3) वित्त आयोग द्वारा स्वैच्छिक अनुदान (अनु० 282) के सम्बंध में कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की है।

वस्तुतः वित्त आयोग द्वारा राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत किया जाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि क्या आदर्श आचार संहिता को वैधानिक समर्थन प्रदान करना भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों में योगदान करेगा। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Critically assess whether according statutory backing to the Model Code of Conduct will contribute towards free and fair elections in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

विधि आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में आदर्श आचार संहिता (MCC) को वैधानिक समर्थन देने का विरोध किया है।

MCC का उदय केरल विधानसभा चुनाव द्वारा हुआ, यह चुनावों की उद्घोषणा उपरांत लागू होती है, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्र में नवीन योजना की घोषणा न करना, धन बल का प्रतिषेध इत्यादि शामिल है।

MCC एवं वैधानिक समर्थन का मुद्दा

वैधानिक समर्थन देना चाहिए	वैधानिक समर्थन आवश्यक नहीं है –
① यह MCC के प्रभावी क्रियान्वयन का आधार बनेगा। MCC का पालन होगा	① MCC क्रियान्वयन की निगरानी करना बहुत कठिन है। जब निगरानी न कर पायें तो वैधानिक बनाने का

② राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगाकर स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देगा।	औचित्य नहीं।
③ निर्वाचन आयोग (EC) की शक्तियों का विस्तार होगा अतः संस्थानों का सशक्तिकरण।	② मुकदमेबाजी द्वारा चुनावों में विलम्ब की समस्या उत्पन्न होगी।
④ जनता को अधिक सक्रिय एवं संवेदनशील बनाएगा; चुनावी भागीदारी बढ़ेगी	③ EC के पास शक्तियाँ है। अनु. 324 के तहत प्रयोग की आवश्यकता है यह EC पर कार्यभार को बढ़ावा देगा
	④ संभाव्यता पर टिका दावा है।
	⑤ पूरी चुनाव प्रक्रिया को बहुत खर्चीला बना देगा।

भारत के स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन के मुद्दे ;

① धन बल का प्रयोग एवं वोट खरीदना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② पेड-न्यूज द्वारा मिथ्या-प्रचार एवं मत व्यवहार को प्रभावित करना

③ राजनीति का अपराधीकरण एवं बाहुबल का प्रयोग

④ सरकारों द्वारा निकटवर्ती राज्यों में घोषणा पर MCC को बाईपास करना

⑤ सोशल मीडिया का दुरुपयोग

वस्तुतः भारतीय निर्वाचन के मुद्दे विस्तृत हैं एवं अकेले MCC इस हेतु पर्याप्त नहीं है। MCC के साथ अन्य कदम उठाने होंगे।

> निर्वाचन आयोग की पहलें - स्वीप कार्यक्रम, वेहिकल ट्रैकिंग व्यवस्था

इस सन्दर्भ में MCC को वैधानिक दर्जा देने से पूर्व इसके प्रवर्तन सम्बंधी व्यावहारिक चुनौतियों पर विश्लेषण करना आवश्यक है।

14. डिजिटल क्रांति के कारण बाजार में आए व्यवधान ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए नवीकृत फोकस और परिप्रेक्ष्य को आवश्यक बना दिया है। इस आलोक में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) में सुधार की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The market disruption caused by digital revolution warrants renewed focus and perspective to ensure fair competition in the digital economy. In this light, discuss the need to revamp the Competition Commission of India (CCI). (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वर्तमान में ई-कामर्स बाजार के 81 बिलयन के 2030 में बढ़कर 300 बिलियन होने का अनुमान है। डिजिटल क्रान्ति से ई-मार्केट द्वारा बाजार में तीव्र परीवर्तन ला दीया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का कार्य बाजार में एकाधिकारवादी प्रवृति को रोकना एवं गुणवत्ता की पुरता एवं स्पर्धा हेतु पर्याप्त लेवल फील्ड तैयार करना है।

वर्तमान में डिजिटल बाजार में निष्पक्षता प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में चिन्ताऐं

① ई-कॉमर्स द्वारा स्वयं को मार्केट प्लेस या इन्वेन्टरी मॉडल (Inv-मॉडल) के रूप में

वर्गीकृत किए बिना। कम्पनी या विक्रेता विशेष को वरीयता देना।

उदाहरणार्थ - अमेज़न द्वारा क्लाउडटेल विक्रेता को बढ़ावा वहीं फ्लिपकार्ट द्वारा अपने विक्रेता समूहों को बढ़ावा देना।

(2) प्रायोजक रणनीति द्वारा छोटे विक्रेता को हानि होती है

(3) ई-कॉमर्स बाजार में उत्पाद की गुणवत्ता व गारंटी सम्बंधी प्रावधानों को लागू न करना। उपभोक्ता अधिकारों का हनन

(4) प्रीडेटरी प्राइज - डिस्काउंट का उपयोग करना एवं सरोगेट प्राइसिंग करना

(5) क्लिकबेट का उपयोग कर उपभोक्ता को गुमराह करना।

CCI में सुधार की आवश्यकता

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

① समस्त ई-कामर्स को CCI के तहत मार्केट प्लेस या इन्वेंटरी मॉडल के तहत पंजीकरण प्राप्त करना

② मार्केटप्लेस मॉडल मे विक्रेता / कम्पनी के अधिकतम बिक्री अंश (40% वर्तमान) सम्बंधी रियल टाइम डाटा CCI तक उपलब्ध कराना

③ डाटा संग्रहकरण के साथ ई-कॉमर्स को निर्देश देने का अधिकार एवं पंजीकरण रद्द करने का अधिकार दिया जाए

④ CCI को ई-कॉमर्स सम्बंधी नियमावली मे परिवर्तन का अधिकार दिया जाए।

⑤ ई-कॉमर्स पालिसी के क्रियान्वयन मे CCI की समुचित भूमिका हो।

~~अतः CCI~~ ई-कॉमर्स के डिजिटल व्यापार मे व्यापारियों एवं ग्राहकों के अधिकारों एवं समावेशी बाजार के निर्माण हेतु CCI के अपेक्षित की आवश्यकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. भारत में एक प्रभावी व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र और साथ ही यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में व्हिसल-ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएं। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
There is an urgent need for effective whistle-blowing mechanisms and ensuring that necessary safeguards for the protection of whistle-blowers are established in both public and private spheres in India. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

NHAI मामले में सत्येन्द्र दुबे की हत्या का प्रकरण भारत में प्रभावी व्हिसल ब्लोइंग तंत्र की आवश्यकता रेखांकित करता है।

व्हीसल ब्लोअर तंत्र की आवश्यकता क्यों?

① जनहित के मामलों में सूचना का प्रकटीकरण के व्यापक घोटालों को रोकना।

② प्रकटीकरण हेतु ढाँचा उत्पन्न करवाना जिससे सीटीमार की आर्थिक सुरक्षा, रोजगार एवं जीवन की रक्षा की जा सके।

③ भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं नौकरशाही-राजनीति-ठेकेदार के गठबंधन को ध्वस्त करने हेतु आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(4) सीटीजन की रक्षा द्वारा जनता में विश्वास का सृजन जिससे नागरिक सक्रियता एवं जन भागीदारिता में बढ़ती - सामाजिक लेखांकन निगरानी को मजबूती प्रदान करता है।

सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में क्यों आवश्यक ?

(1) PPP - सार्वजनिक निजी भागीदारी का बढ़ता स्वरूप अतः निजी भूमिका में वृद्धि

(2) कार्पोरेट गवर्नेन्स हेतु आवश्यक जिससे सत्यम जैसे बड़े कार्पोरेट घोटालों को रोका जा सके → शेयरधारकों के साथ हितधारकों के संरक्षण हेतु आवश्यक

(3) पूँजीपति - राजनेता नेक्सस ~~हेतु~~ के समाधान हेतु निजी क्षेत्र में सीटीजन आवश्यक

(5) सार्वजनिक क्षेत्र की गोपनीयता एवं जटिल भ्रष्ट प्रणाली को उजागर करने के साथ साथ निजी क्षेत्र में सीटीमार निजी उद्यमों के भ्रष्ट आचरण को प्रकट करेगा। फलत: कुशल कार्पोरेट गवर्नेन्स

वस्तुत: वर्तमान में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के क्रम घोटे बढ़ने के कारण दोनों क्षेत्रों में सीटीमार तंत्र एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

16. भारत में सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारणों का उल्लेख कीजिए। साथ ही, इनकी कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
State the reasons behind the poor performance of cooperatives in India. Also, discuss the reforms undertaken by the government to overcome the shortcomings. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय संविधान के एकादश 19 तथा नीति निर्देशक तत्व (अनु. 43) के तहत सहकारी समितियों के गठन सम्बंधी प्रावधान किए गए हैं।

सहकारी समितियों के खराब प्रदर्शन के कारण:-

① नियमित चुनाव का न होना एवं चुनावों का राजनीतिकरण

② चुनावों में सभी की भागीदारी का अभाव एवं बड़े किसानों की एकपक्षीय प्रभुता

③ छोटे किसानों का हीनान्तीकरण

④ सहकारी फर्मों के संचालन में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

⑤ वित्त तक अपर्याप्त पहुंच के कारण वृद्धि की सीमित संभावना

⑥ विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा आपसी सहयोग का अभाव होना

⑦ किसी भी दीर्घकालीन लक्ष्यों या रणनीतिक योजना की अनुपस्थिति

इन कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं –

① सहकारिता मंत्रालय का गठन – जो राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समितियों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं सहयोग का कार्य करेगा

② FPO – किसान उत्पादक संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करना। उन्हें ऋण सहायता एवं ब्याज अनुदान की व्यवस्था

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सहकारिता अधिनियम पारित किया गया है

(3) बेहतर विनियमन, चुनावों को सुनिश्चित करना इत्यादि प्रावधान।

अन्तर्राज्यीय सहकारी संगठनों का विनियमन केन्द्र के सहकारिता अधिनियम द्वारा किया जाएगा।

वस्तुतः भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि परितंत्र के उद्धार हेतु सहकारी समितियाँ एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

इनके बेहतर क्रियान्वन द्वारा ग्राम उदय - से भारत उदय की संकल्पना को सत्य किया जा सकता है

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल का यदि उचित तरीके से दोहन किया जाए, तो इसमें भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विद्यमान अंतराल को पाटने की क्षमता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Public-Private Partnership model, if harnessed properly, has the potential to bridge the gaps in India's healthcare system. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली में वर्तमान सार्वजनिक निवेश केवल 1.3 - 1.6% है जो वांछनीय 3% (GDP) से बहुत कम है। इस सन्दर्भ में सार्वजनिक - निजी भागीदारी महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकती है।

① पूंजीगत अन्तराल
1.3%
3% वांछनीय

③ अवसंरचना अन्तराल
बिस्तर 1:9
वांछनीय 1:4

चिकित्सा प्रणाली के विद्यमान अन्तराल

② मानव बल अन्तराल
डाक्टर 1:1456
1:1000 वांछनीय

④ तकनीक
(डिजिटल हेल्थ)

सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की संभावना :-

(1) बीमाकरण - राज्य द्वारा प्रीमियम का अंश प्रदान कर मीसिंग मिडल का बीमाकरण संभव है।

(2) चिकित्सा विस्तार — निजी डाक्टरों को इन्सेंटिव प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति संभव होगी। भारतीय चिकित्सा के 30:70 समस्या का समाधान होगा।

(3) यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लक्ष्य की प्राप्ति संभव होगी

(4) यह भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के विद्यमान अवसंरचनात्मक अन्तराल में निवेश को संभव बनाएगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PPP मॉडल का उचित वाहन क्या है?

① निजी क्षेत्र का उचित विनियमन आवश्यक है - फर्जी जांच एवं क्षेत्र प्रधानता इनड्यूस्ड फर्जी एवं खर्चों को रोकना।

② चिकित्सा सेवा में सेवा आपूर्ति की गुणवत्ता एवं लागत का मानकीकरण करना; जेब से बाहर खर्च (वर्तमान 35%) को कम करना

③ अनावश्यक उपचार की रोकथाम

वस्तुतः PPP द्वारा स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए जा सकते हैं।

यह sdg-3 (स्वास्थ्य) एवं आयुष्मान योजना के संगत पहल होगी।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

18. यद्यपि नई शिक्षा नीति अपने साथ एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण लेकर आई है, इसकी सफलता सरकार की अन्य नीतिगत पहलों के साथ प्रभावी ढंग से एकीकृत होने की इसकी क्षमता पर निर्भर करेगी। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Although the New Education Policy brings with itself a commendable vision, its success will depend on its ability to effectively integrate with the government's other policy initiatives. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करना है।

नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान

① शिक्षा में निवेश को बढ़ाकर gdp के 6%. करना

② शिक्षा प्रणाली को प्री स्कूल (बाल वाटिका) से शुरू कर प्रारम्भिक स्तर पर ध्यान देना

③ वोकेशनल प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम का भाग बनाना

④ विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में शिक्षण की अनुमति प्रदान करना।

⑤ शिक्षकों की योग्यता एवं प्रशिक्षण की निर्धारित मानक – B.Ed को स्नातक के साथ 4 वर्षीय करना

सरकार की अन्य नीतिगत पहलें जो शिक्षा नीति से जुड़ी हैं:—

① पोषण अभियान – मिड डे मील के माध्यम से बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ावा देकर कुपोषण की समस्या का समाधान सुनिश्चित करना

② कौशल भारत अभियान – वोकेशनल प्रशिक्षण द्वारा छात्रों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण देना – अकादमी - उद्योग अन्तराल को कम करना

③ लैंगिक न्याय की स्थापना करना - शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता उत्पन्न करना।

④ आत्मनिर्भर भारत – ब्रेन ड्रेन को रोकना एवं भारत के भीतर उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) निष्ठा एवं स्टार कार्यक्रम – शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना

(6) स्वच्छता कार्यक्रम - स्कूल स्तर पर पेयजल एवं शौच सुविधा उपलब्ध करवाना।

वस्तुतः इन पहलुओं को यदि शिक्षा नीति में पर्याप्त स्थान देकर एकीकृत किया जाए तो यह भारतीय जनांकिकीय लाभांश हेतु एक सकारात्मक कदम होगा।

19. इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा से उत्पन्न हुआ है। टिप्पणी कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में भारत की चिंताओं की विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) is born from a collective desire to make the Indo-Pacific region an engine of global economic growth. Comment. Also, discuss India's concerns in this context. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हाल ही मे हिन्द प्रशान्त क्षेत्र मे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु इण्डो पैसिफिक फ्रेमवर्क फोर प्रोस्पेरिटी IPEF की घोषणा की गई।

यह ग्लोबल पार्टनरशिप फोर इकोनोमिक डेवलपमेंट का परिवर्तित नाम है।

IPEF का मुख्य उद्देश्य विश्व को चीन की ऋण जाल कूटनीति से बचाने हेतु विकल्प के रूप मे ऋण प्रदान करना, ग्लोबल वैल्यू चैन मे चीन के प्रभुत्व को कम करने हेतु आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

IPEF की संभावनाएं

① आर्थिक सहयोग हेतु रहस मंच तैयार करता है।

② क्रेडिट फण्ड का निर्माण कर बड़ी वित्तीय ऋण प्रदान करने की क्षमता

③ हिन्द प्रशान्त में निवेश द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा → क्षेत्रीय वृद्धि द्वारा व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन

IPEF के सन्दर्भ में भारत की चिंता

① हिन्द प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी सलंग्नता बढ़ाता है क्योंकि IPEF का मुख्य कार्य क्षेत्र हिन्द महासागर होगा न कि प्रशांत क्षेत्र

② IPEF द्वारा प्रदत्त ऋण की मात्रा चीन की तुलना में अत्यंत कम

(3) यदि आर्थिक भागीदारी का निर्माण होता है तो पुनः पश्चिमी देश हिडन क्लॉज जैसे कानून, काइवेट कंपनी मालिकों का उपयोग कर बढ़ीयता प्राप्त कर लेंगे।

(4) IPEF भारतीय केन्द्रीय भूमिका को सीमित करता है।

(5) बिल्ड बैक बेटर, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के अंतर्गत IPEF रणनीति को और जटिल कर देगा।

(6) IPEF की व्यापार प्रणाली भारत-चीन सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न कर सकती है।

वस्तुतः इस सम्बंध में भारत को IPEF के सम्बंध में विश्लेषणात्मक प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी चाहिए - जिससे भारत की क्षेत्रीय प्रभुता एवं वैश्विक सहयोग दोनों पक्षों का उचित आर्थिक संभव हो।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

20. विस्तृत होते डिजिटल स्पेस और नई एवं उभरती सामरिक प्रौद्योगिकियों की जटिलताओं के बीच भारत को अपनी तकनीकी-कूटनीति (टेक्नो-डिप्लोमेसी) को आगे बढ़ाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता है। चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
India needs to identify the priority areas to further its techno-diplomacy amidst the complexities of expanding digital space and New and Emerging Strategic Technologies. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

वर्तमान समय में साइबर क्रान्ति ने चुनौतियों एवं नई प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है।

नवीन उभरती चुनौतियाँ

- स्पेस वारफेयर
- हाइब्रिड वारफेयर
  - साइबर वारफेयर
    - हैकिंग
    - स्पूफिंग
    - स्नूपिंग
    - स्नीकिंग
  - हाइब्रिड वारफेयर
    1. ड्रोन वारफेयर
    2. रोबोटिक वारफेयर
    3. इन्फोर्मेशन वारफेयर

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

① क्रिटिकल इन्फ्रा स्ट्रक्चर की सुरक्षा करना — यह वह क्षेत्र है जिन पर राष्ट्रीय हित निर्भर करते हैं - उदा. स्टॉक एक्सचेंज, परमाणु संयंत्र इत्यादि

② सीमावर्ती सुरक्षा - ड्रोन गतिविधि की रोकथाम करना.

③ गोपनीयता एवं रक्षा रचना की सुरक्षा करना उदा. राष्ट्रीय गुप्त जानकारी, परमाणु उपस्थिति, तकनीक डाटा

तकनीकी कूटनीति

① उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन विकसित करना (स्वदेश) एवं नव तकनीक व्यापार द्वारा प्राप्त करना (MQ 9 - US)

② ~~[illegible]~~ क्वांटम तकनीक, बिग डाटा, एथिकल हैकिंग द्वारा डाटा को सुरक्षित करना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

इसके लिए "ब्लैकस्टोन" से सहयोग प्राप्त करना।

③ सीमावर्ती क्षेत्र के नियंत्रण हेतु व्यापक एवं एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल व्यवस्था (CBIM) शुरू करना। इसके लिए e-BOLT माध्यम हेतु इज़राइल का सहयोग प्राप्त करना

(4) इन्फॉर्मेशन वारफेयर से लड़ने हेतु फैक्ट चेक एवं गलत खबरों की मिथ्या पुष्टि हेतु PIB को सशक्त करना

वस्तुतः भारत को इनकी रोकथाम हेतु दोतरफा रणनीति बनाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा तकनीकी - कूटनीतिक द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को ऊपर करना संभव होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

SPACE FOR ROUGH WORK